अति-आवश्यक

भा.वा.अ.शि.प.–उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्त परिषद)
डाकघर – आर0एफ0आर0सी0, मण्डला रोड, जबलपुर – 482 021
ICFRE-TROPICAL FOREST RESEARCH INSTITUTE
(An Autonomous Council under the Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Govt. of India)
P.O. – R.F.R.C, Mandla Road, JABALPUR – 482 021 (M.P)

क्रमांक 1-13-4/19/Estt./TFRI/...708 दिनांक 16 / 09/2026

परिपत्र

प्राय: देखा जा रहा है कि संस्थान के कुछ कार्मिक https://e-hrms.gov.in में असाधारण अवकाश (Extraordinary leave) एवं अर्ध वेतन अवकाश (Half Pay Leave) का आवेदन कर अवकाश का उपभोग करते है। उक्त अवकाश की जानकारी लेखानुभाग को समय से प्राप्त न होने के कारण संबंधित कार्मिकों को उक्त अवधि के वेतन का भुगतान कर दिया जाता है तथा भुगतान पश्चात उनसे उक्त वेतन की वसूली की जाती है। संस्थान में लेखापरीक्षण (Audit) में आये लेखा परीक्षक (Auditor) द्वारा समय से वेतन कटौती न होने एवं अतिरिक्त भुगतान होने पर आपत्ति जताई गई है।

अत: प्रभागाध्यक्ष एवं अनुभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि वे अपने अधिनस्थों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे अपने **असाधारण अवकाश (Extraordinary leave) एवं अर्ध वेतन अवकाश (Half Pay Leave) की जानकारी स्थापना अनुभाग एवं लेखानुभाग में यथासमय प्रेषित करें**, ताकि लेखा आपत्तियों से बचा जा सके।

यह परिपत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जारी किया गया है।

अवर सचिव
भा.वा.अ.शि.प.-उ.व.अ.सं., जबलपुर